न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 79/2018 अपील

1. कुशाल आत्मज नाथू बनाम भील, निवासी– झडोल, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

1. श्री हीरा आत्मज भैरा भील निवासी झडोल
2. श्री देवीलाल आत्मज भैरा भील निवासी झडोल
3. श्री मोवन आत्मज भैरा भील निवासी झडोल
4. श्री बद्री आत्मज भैरा भील निवासी झडोल
5. श्रीमती श्यामूडी पुत्री भैरा भील निवासी– झडोल तह0 रायपुर।
6. श्रीमती खूमी पत्नी भैरा भील निवासी झडोल तह0 रायपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.11.2010 न्यायालय तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010, प्रकरण सं. 34/2010 विभाजन आराजियात अपील अर्न्तगत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 की ओर से
3. श्री शिवसिंह चारण अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 04 व 06 की ओर से
4. विपक्षी सं. 02 से 04 उपस्थित नही है, एक तरफा कार्यवाही के आदेश

निर्णय

दिनांक 20.12.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार रायपुर प्रकरण संख्या 34/2010 दिनांक 23.11.2010 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के संयुक्त अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात ग्राम झडोल पटवार हल्का मौखुन्दा में स्थित है जिसके आराजी नं. तत्कालीन खाता सं. 808 में आराजी सं. 1446 रकबा 0.88 है0, आराजी सं. 1448 रकबा 0.63 है0, आराजी सं. 1449 रकबा 0.04 है0, आराजी सं. 1450 रकबा 2.78 है0, आराजी सं. 1451 रकबा 0.96 है0, आराजी सं. 2718 रकबा 2.17 है0, आराजी सं. 2720 रकबा 0.62 है0, आराजी सं. 2843 रकबा 0.56 आराजी सं. 2844 रकबा 0.41 है0, आराजी सं. 2845 रकबा 0.49 है0, आराजी सं. 2860 रकबा 0.71 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 10.25 है0 है जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/2 हिस्सा है।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर उक्त आराजियात सामलाती खाते की

होकर संयुक्त आधिपत्य में चली आ रही है, जिसका मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कर खाता अलग अलग करने के लिए अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा अपीलान्ट को कहा गया की उनके द्वारा पटवार हल्का के साथ मौका देखकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पश्चात खाता अलग अलग होगा आज समय नहीं है इस कारण आज कोई कार्यवाही नहीं होगी तथा वह समय मिलते ही मौका देखने के लिए आयेगे तथा उस समय अपीलान्ट के कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराकर वापस भेज दिया। उसके पश्चात तहसीलदार व पटवारी मौका देखने के लिए उक्त आराजियात पर नहीं आयें। आराजियात का बंटवाडा नहीं होने से अपीलान्ट ने अपने आराजियात का बंटवाडा कराने के लिए हाल ही में दिनांक 03.09.2018 को अपीलान्ट ने पटवार हल्का से सम्पर्क किया तो पटवार हल्का ने रेकार्ड देखकर अपीलान्ट को कहा की आपके खाते की आराजियात को तो विभाजन हो गया है इस अपीलान्ट ने दिनांक 04.09.2018 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त बंटवाडा आदेश की नकल लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 07.09.2018 को आलौच्य आदेश की नकल प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। मामले मे आलौच्य बंटवाडा आदेश किसी भी विधिक सिद्धान्त एवं कानून को ध्यान में रखकर पारित नही किया गया है जो विधिसम्मत न होकर खारीज होने योग्य है। तहसीलदार रायपुर एवं पटवार हल्का द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिया। जिन आराजियात पर अपीलान्ट का कब्जा था एवं जिन आराजियात को अपीलान्ट ने लाखों रूपये लगाकर सरसब्ज बनाया था उन आराजियात को रेस्पोडेन्ट के खाते में रख दिया एवं बंजड भूमि को अपीलान्ट के खाते में रख दिया। आराजियात में आने जाने के लिए रास्ता भी छोडा गया। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में स्पष्ट प्रावधान है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर सभी खातेदारों को सुनकर विभाजन का प्रस्ताव किया जायेगा तथा किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नही दी जायेगा तथा एक पक्षकार को यथासम्भव उसे मिलने वाली भूमि एक साथ दी जायेगी। तहसीलदार द्वारा उक्त बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने में उक्त नियमों की किसी भी तरह से पालना नही की गई है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने उसके हिस्से में आराजियात को उसके साथ रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायात 6 के नाम पर भी दर्ज करवा दी इस कारण हीरा के हिस्से की आराजियात रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 6 के नाम पर दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 23.11.2010 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 प्र. सं. 34/2010 को पारित आलौच्य निर्णय को निरस्त फरमाया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जेनुसार विभाजन कराने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.10.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के

समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के संयुक्त अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात ग्राम झडोल पटवार हल्का मौखुन्दा में स्थित है जिसके आराजी नं. तत्कालीन खाता सं. 808 में आराजी सं. 1446 रकबा 0.88 है0, आराजी सं. 1448 रकबा 0.63 है0, आराजी सं. 1449 रकबा 0.04 है0, आराजी सं. 1450 रकबा 2.78 है0, आराजी सं. 1451 रकबा 0.96 है0, आराजी सं. 2718 रकबा 2.17 है0, आराजी सं. 2720 रकबा 0.62 है0, आराजी सं. 2843 रकबा 0.56 आराजी सं. 2844 रकबा 0.41 है0, आराजी सं. 2845 रकबा 0.49 है0, आराजी सं. 2860 रकबा 0.71 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 10.25 है0 है जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/2 हिस्सा है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर उक्त आराजियात सामलाती खाते की होकर संयुक्त आधिपत्य में चली आ रही है। आराजियात का बंटवाडा नहीं होने से अपीलान्ट ने अपने आराजियात का बंटवाडा कराने के लिए हाल ही में दिनांक 03.09.2018 को अपीलान्ट ने पटवार हल्का से सम्पर्क किया तो पटवार हल्का ने रेकार्ड देखकर अपीलान्ट को कहा की आपके खाते की आराजियात को तो विभाजन हो गया है। तहसीलदार रायपुर एवं पटवार हल्का द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिया। जिन आराजियात पर अपीलान्ट का कब्जा था एवं जिन आराजियात को अपीलान्ट ने लाखों रूपये लगाकर सरसब्ज बनाया था उन आराजियात को रेस्पोडेन्ट के खाते में रख दिया एवं बंजड भूमि को अपीलान्ट के खाते में रख दिया। आराजियात में आने जाने के लिए रास्ता भी छोडा गया। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में स्पष्ट प्रावधान है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर सभी खातेदारों को सुनकर विभाजन का प्रस्ताव किया जायेगा तथा किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नही दी जायेगा तथा एक पक्षकार को यथासम्भव उसे मिलने वाली भूमि एक साथ दी जायेगी। तहसीलदार द्वारा उक्त बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने में उक्त नियमों की किसी भी तरह से पालना नही की गई है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने उसके हिस्से में आराजियात को उसके साथ रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायात 6 के नाम पर भी दर्ज करवा दी इस कारण हीरा के हिस्से की आराजियात रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 6 के नाम पर दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 23.11.2010 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 प्र. सं. 34/2010 को पारित आलौच्य निर्णय को निरस्त किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से एवं कब्जेनुसार विभाजन कराने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम झडोल की आराजियात में सहखातेदारों की आपसी सहमति एवं कब्जानुसार बंटवारा प्रस्ताव चाहने से पटवार हल्का द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक की सहमति से विभाजन एवं कब्जे

अनुसार बंटवारा चाहने का प्रमाणीकरण रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 23.11.2010 को सहमति विभाजन का बंटवारा स्वीकार किया गया जो विधि सम्मत हैं। अपीलार्थी द्वारा लगभग 8 वर्ष पश्चात् उक्त बंटवारा प्रस्ताव के विरूद्व अपील की है जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलाथ्री खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि तहसीलदार रायपुर ने हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की आपसी सहमति के आधार पर प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2010 में दिनांक 23.11.2010 को सहमति बंटवारा प्रस्ताव पारित किया गया। अपीलाण्ट ने सामलाती आराजी में से अपीलार्थी का कौनसी आराजियात पर कब्जा हैं एवं रेस्पोडेण्ट का कौनसी आराजियात पर कब्जा होने के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया हैं। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान् के मध्य सहमति से विभाजन किया गया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार रायपुर के प्रकरण सं0 34/2010 दिनांक 23.11.2010 के क्रम में अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 23.11.2010 पत्रावली संख्या 34/2010 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.20 18:45:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: